बिहार, सरकार

स मा ह र णा ल य, अररिया

(जिला पशुपालन कार्यालय)

पुर्न निविदा संख्या – 02

संभावित बाढ़ 2017 से निपटने हेतु सुखा पशु चारा (गेहुँ का भूसा/कुटटी (पुआल) की आवश्यकता को दृष्टगत करते हुए दिनांकः– 05.07.2017 तक मुहर बन्द निविदा आमंत्रित की गई थी। दिनांकः– 06.07.2017 को जिला आपदा कय समिति के द्वारा प्राप्त निविदाऐं, निविदा शर्तों को पुरा नहीं करने के कारण रदद् कर, पूनः निविदा आमंत्रण का प्रस्ताव दिया गया, तत्दउपरांत पशु चारा के दर निर्धारण से संबंधित इक्छुक आपूर्तिकर्ताओं से दिनांकः– 20.07.2017 के 1:00 बजे अपराहन् तक निविदा जिला पशुपालन कार्यालय में आमंत्रित की जाति हैं। निविदा उसी दिन दिनांकः–, 20.07.2017 के अपराहन 4:00 बजे जिला पदाधिकारी, अररिया के अध्यक्षता में जिला स्तरीय कय समिति के समक्ष खोली जायेगी । निविदा की शर्तें जिला पशुपालन पदाधिकारी,अररिया के सुचना पट, विभागीय वेबसाईट www.ahd.bih.nic. एवं जिला पदाधिकारी, अररिया के http://araria.bih.nic.in पर देखा जा सकता हैं।

10.7.17

जिला पशुपालन पदाधिकारी,
अररिया।

10/7/17

जिला पदाधिकारी
अररिया

निविदा की शर्तें निम्न हैं:-

1. तकनिकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग सील बंद लिफाफा में होगा जिस पर गेहूँ का भूसा/कुट्टी(पुआल) हेतु निविदा अंकित होगा।
2. रुपये 5000/का बैंक ड्राफ्ट अग्रधन के रुप में जो जिला पशुपालन पदाधिकारी, अररिया के पदनाम से एवं अररिया में देय होगा। असफल निविदा दाता को अग्रधन का ड्राफ्ट उसी समय लोटा दिया जायेगा। तथा सफल निविदादाता की राशि को निविदा की अवधि तक रोक कर रखी जायेगी।
3. PAN कार्ड की छाया प्रति।।
4. सामग्री का नमूना 200gm पारदर्शी प्लास्टिक की थैली में सील बंद हो, उसपर नाम, पता, एवं मोबाईल न0 अंकित हो।
5. निविदादाता या उनके प्रतिनिधि क्रय समिति के समक्ष निविदा खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं।
6. निविदा समिति द्वारा लिए गये निर्णय अंतिम होगा।
7. वित्तिय निविदा में दर साफ-साफ लिखा होना चाहिए। कटिंग या ऑवर राईटिंग मान्य नहीं होगा। गेहूँ का भूसा एवं कुट्टी का दर अलग-अलग अंकित हेना चाहीए।
8. सामग्री की आपूर्ति अररिया जिलान्तर्गत विभिन्न अंचलों के पशु शिविर में आपूर्ति की जायेगी इसके लिए परिवहन मद में राशि अलग से देय नहीं होगा।
9. सफल निविदादाता का नाम एवं आपूर्ति दर आदि सभी प्रखण्ड के अंचलाधिकारी को भेजा जायेगा।
10. सफल निविदादाता को 7 दिनों के अंदर जिला पशुपालन पदाधिकारी,अररिया से एक एकरारनामा करना होगा जिसमें निविदा की सभी शर्त्ते तथा निविदा समिति के निर्णय वर्णित होगें।
11. सभी अंचलों में निर्देष्ट स्थान तक परिवहन के दौरान क्षति के लिए निविदादाता स्वंय जिम्मेवार होगें।
12. भूसा सूखा कवक रहित उच्च्य गुण्वत्ता का होगा और उत्पादन से छः माह ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। नमी 10% से अधिक नहीं होगी।
13. किसी भी स्तर पर निविदा रदद् किया जा सकता है या आवश्यकता नही पड़ने पर आपूर्ति आदेश रदद् किया जा सकता है।
14. शर्त्तो के अनुपालन में शिथिलता, आपूर्ति में देरी या अनियमिता,गुणवत्ता में कमी आदि की स्थिति में अग्रधन की राशि जप्त कर ली जायेगी/काली सूची में डाला जायेगा एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई किया जायेगा।
15. कोई भी विवाद होने पर निविदा समिति का निर्णय बाध्यकारी होगा।
16. सारी विवाद अररिया न्यायालय के दायरे में होगा।
17. भूसा के गुणवत्ता में संदेह होने पर गुण्वत्ता जॉच कराई जा सकती है।
18. आपूर्ति आदेश आवश्यक्तानुसार संबंधित अंचलाधिकारी/जिला पशुपालन पदाधिकारी, अररिया के द्वारा दिया जायेगा जिसका भुगतान उनके द्वारा आपदा मद में प्राप्त आवंटन से किया जायेगा।

SI.N0.	Item	Specification
1	Wheat Straw(Bhusa)	Moisture less than 10%Without Fungus
2	Paddy Straw (Kutti)	Moisture less than 10% Without Fungus

10.7.17

जिला पशुपालन पदाधिकारी,
अररिया।

10/7/17

जिला पदाधिकारी
अररिया